दिनांक 30.01.2023 वाद पुकारा गया। पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग अग्रवाल तथा राज्य की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री जितेन्द्र सिंह रावत उपस्थित आये। पुनरीक्षणकर्तागण स्वयं उपस्थित।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र सं. 18 ख प्रस्तुत करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश अग्रिम तिथि तक बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अंतरिम आदेश दिनांकित 18.07.2022 अग्रिम तिथि तक प्रभावी रहेगा।

पक्षकारों के अधिवक्तागण के द्वारा बहस की गयी। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 01.02.2023 को पेश हो।

प्रतिभा तिवारी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।